न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2005/835/भीलवाड़ा

नारायण पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी लापिया,
तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– गोविन्द (मृतक) पुत्र हरदेव (नाम तर्क)
2– जग्गा पुत्र गोविन्दराम जाति जाट
निवासीगण लापिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3– श्रीमती चांदू पुत्र गोविन्द पत्नी औंकार जाति जाट
निवासी लोडा महूआ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4– राजस्थान सरकार।

.....रेस्पोडेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थित :–
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक अपीलान्टस
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

दिनांक : 09 दिसम्बर, 2021

निर्णय

1– अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 27–1–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के यहां, जहां से आगे चलकर उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के यहां स्थानान्तरित कर दिया गया है, के यहां वादी एवं उसकी माता नन्दू बेवा गोविन्दराम जिसका कि स्वर्गवास हो चुका है, ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–88, 89, 53, 54 एवं 188 के तहत प्रतिवादी/रेस्पो. जिसमें रेस्पो. संख्या–1 वादी के पिता हैं, जिसका स्वर्गवास हो गया है। रेस्पो. संख्या–2 व 3 वादी के भाई व बहन हैं, के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम लापिया तहसील बनेड़ा में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर–62, 63, 64, 142, 143, 329, 388, 327, 1227,1482/64 कुल किता 10 कुल रकबा 25 बीघा है, जो वादी एवं प्रतिवादी के कब्जे काश्त में संयुक्त रूप से चली आ रही है। उपरोक्त आराजी में वादी का 2/5 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 3 का 3/5 हिस्सा है। इसके पश्चात विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनाक 28–10–2003 द्वारा सभी तनकीयात का निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में करते हुये वाद वादी डिक्री करते हुये, विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की। प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या–1 ने उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–2003 से व्यथित होकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के यहां अपील प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–1–2005 द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या–1 की अपील स्वीकार करते हुये, परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2003 को अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–1–2005 विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–1–2005 द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को उलट कर अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी / रेस्पो. संख्या–1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। उपखण्ड अधिकारी ने समस्त तनकियात पर विस्तृत निर्णय देते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2003 के द्वारा अपीलान्ट

का वाद प्लीडिंग व साक्ष्य के आधार पर डिक्री कर दिया। बाद में राजस्व मण्डल से अपीलीय न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी / रेस्पो. संख्या–1 की स्वअर्जित मानकर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज करने में ना केवल प्लीडिंग के परे गये हैं, बल्कि अपने क्षेत्राधिकार के परे निर्णय दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–1–2005 निरस्त फरमाया जाये।

5– प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विवादित आराजी मौरूसी नहीं थी। वादी व प्रतिवादी संख्या–2 व 3 के पिता प्रत्यर्थी संख्या–1 गोविन्द की पैदाकर्दा थी। पिता की पैदाकर्दा भूमि पर पुत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा नहीं ला सकता है। वादी / अपीलान्ट ने एक भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि पैतृक थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 27–1–2005 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि जमाबन्दी संवत 2051–54 के अनुसार गोविन्द की खातेदारी में थी। वादी / अपीलान्ट का यह कथन कि उक्त विवादित आराजी पैतृक है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। बिना दस्तावेजी साक्ष्य के विवादित भूमि को पैतृक नहीं माना जा सकता है। अतः वादी / अपीलान्ट अपने कथनों को दस्तावेजों के द्वारा सिद्ध नहीं कर पाय हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2003 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य था जिसे अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 27–1–2005 के द्वारा उचित रूप से अपील स्वीकार कर निरस्त किया है। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय पूर्णतया

विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील में कोई ठोस व सारभूत तथ्य नहीं होने के कारण उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

8– अतः यह अपील सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त की जाती है तथा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 27–1–2005 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य